

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 25-2-15

3065

सं०-14/प्र० 113/2014-सा०प्र०- / वित्त विभाग की संकल्प सं० 7566 दिनांक - 14.7.10 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त "रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010" के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने अंकित तिथि से पे-बैंड ₹ 15,600- 39,100/-, ग्रेड पे ₹ 7,600/-में द्वितीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


क्र०	पदाधिकारी का नाम	कोटि क्रमांक वर्ष 2011 का	द्वितीय रू० सु० वृत्ति उन्नयन की देय तिथि
1	2	3	4
1	श्री दीवान जफर हुसैन खाँ,	651	01.03.13
2	श्री उज्ज्वल कुमार सिंह,	652	01.03.13
3	श्री विनय कुमार राय,	653	01.03.13
4	श्री प्रीतेश्वर प्रसाद	655	01.03.13
5	डॉ० बच्चानन्द सिंह	656	1.07.13
6	श्री कृष्ण प्रसाद गुप्ता	658	15.03.13
7	श्री नरेश झा	660	01.03.13
8	श्री रजनीकान्त	661	01.03.13
9	श्री रमण कुमार सिन्हा	663	01.03.13
10	श्री लालबाबू सिंह	665	01.03.13
11	श्री संजय कुमार	666	01.03.13
12	श्री शशांक शेखर सिन्हा	667	01.03.13
13	श्री मुकेश कुमार सिन्हा	669	01.03.13
14	श्री दीपक सिंह	671	01.03.13
15	मो० नौशाद अहमद	674	01.04.13
16	श्री किशोर कुमार प्रसाद	675	01.03.13
17	मो० गयासुद्दीन अंसारी	685	01.03.13
18	मो० अब्दुल हमीद	687	01.03.13
19	श्री तारानन्द महतो वियोगी	689	01.03.13
20	श्री विनय कुमार मंडल	690	01.03.13

21	श्री अरविन्द कुमार	691	01.03.13
22	श्री अरविन्द मंडल	694	01.03.13
23	श्रीमती राखी कुमारी केशरी	696	01.03.13
24	श्री ब्रजेश कुमार	702	01.03.13
25	श्री सुनील कुमार झा	706	01.03.13
26	श्री राम निरंजन सिंह	707	01.03.13

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों का वेतन नियतिकरण रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के परिशिष्ट-1 के नियम 4 के अनुसार किया जाएगा ।

3. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त एम०ए०सी०पी० योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(अश्विनी प्रसाद ठाकुर)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-14/प्र० 113/2014-सा०प्र०- 3065 /

पटना-15, दिनांक- 25-2-15

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार बिहार, पटना/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना /मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रधान सचिव के कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिपरिषद् के बैठक दिनांक-18.02.2015 के मद सं०-01 के आलोक में विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को/ प्रबंधक, आई० टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सी०डी० तैयार कर राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को भेजने हेतु /सामान्य प्रशासन विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना /सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

2. महालेखाकार, बिहार/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि वित्त विभाग की संकल्प सं० 7566 दिनांक 14.7.10 के अन्तर्गत निर्धारित सुसंगत प्रावधानों के अनुसार जाँच कर यथानुमान्य वेतनपुर्जा निर्गत किया जाय ।


सरकार के संयुक्त सचिव ।